एनएमडीसी लिमिटेड

तथा

इस्पात मंत्रालय
भारत सरकार

के बीच

वर्ष 2014-2015

के लिए

समझौता ज्ञापन

एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद (आं.प्र.)
मार्च - 2014

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
I	लक्ष्य और उद्देश्य	1
II	बढ़ी हुई स्वायत्तता के अधिकार का प्रयोग तथा वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन	2
III	निष्पादन मूल्यांकन के मानदंड तथा लक्ष्य	3-10
IV	सरकार से प्राप्त सुविधा / सहायता	11-12
V	समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन तथा मानिटरिंग के लिए कार्य योजना	13
VI	शब्दावली	14

I. लक्ष्य और उद्देश्य

1. लक्ष्य

भू-मंडलीय पर्यावरण हितैषी खनन संगठन तथा सामाजिक विकास पर साकारात्मक सोच सहित गुणवत्ता इस्पात उत्पादक के रूप में उभरना ।

2. उद्देश्य

गुणवत्ता इस्पात उत्पादक के रुप में स्वयं को स्थापित तथा भारत एवं विदेश में विभिन्न लौह अयस्क, कोयला एवं अन्य खनिज परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण एवं प्रचालन के माध्यम से विस्तार कर तथा अपने सभी पणधारियों को इष्टतम संतुष्टि प्रदान करते हुए भारत में बृहद लौह अयस्क उत्पादक के रुप में इसके नेतृत्व को बनाए रखना ।

2.1 बृहत लक्ष्य

2.1.1 घरेलु एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बढी हुई मांग को पूरा करने के लिए खनन एवं खनिज संसाधन के क्षेत्र में प्रचालन का विस्तार करना ।

2.1.2 प्रति व्यक्ति उत्पादकता, मूल्य संवर्धन एवं लागत प्रभावकारिता में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करना ।

2.1.3 वर्ष 2020 तक लौह अयस्क का वर्तमान स्तर लगभग 27 मिलियन टन से 52.5 मिलियन टन तक उत्पादन में वृद्धि करना।

2.1.4 नगरनार में इस्पात संयंत्र की स्थापना

2.2 सूक्ष्म लक्ष्य

2.2.1 निम्नांकित के जरिए विकास की प्राप्ति

क) वर्तमान खानों का विस्तार ।

ख) एनएमडीसी के पूर्ण स्वामित्व अथवा संयुक्त वेंचर में नई खानों का प्रचालन ।

2.2.2 कोयला, स्वर्ण तथा अन्य खनिजों के गवेषण एवं उत्खनन पर जोर देना ।

2.2.3 पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखना ।

2.2.4 वैज्ञानिक खनन द्वारा खनिज संसाधनों का संरक्षण ।

2.2.5 उच्चस्तरीय ग्राहक संतुष्टि बनाए रखना ।

2.2.6 संबंधित लोगों के विशेषकर खान के आसपास के लोगों के सामाजिक- आर्थिक जीवनस्तर में सुधार ।

II. बढ़ी हुई स्वायत्तता के अधिकार का प्रयोग तथा वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली "नवरत्न" कंपनी को स्वीकार्य सारी शक्तियां कंपनी को पहले से ही प्राप्त हैं।

उक्त के अतिरिक्त एनएमडीसी को अन्य शक्तियों के प्रत्यायोजन की आवश्यकता पड़ने पर इस्पात मंत्रालय के साथ अलग से विचार-विमर्श किया जाएगा।

III. निष्पादन मूल्यांकन के मानदंड तथा लक्ष्य 2014-15

समझौता ज्ञापन के अधीन अपने दायित्वों के पालन में एनएमडीसी वर्ष 2014-15 में निष्पादन के निर्धारित स्तरों को प्राप्त करने का वचन देता है। निष्पादन का मूल्यांकन इस अध्याय के अनुलग्नक - I, I ए, I बी, I सी, I डी, में सूचीबद्ध मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक मानदंड को दिए जानेवाले वेइट्स तथा विभिन्न निष्पादन दरों के प्रति मानदंड के मूल्य भी इसमें दिए गए हैं।

अनुलग्नक-I

एनएमडीसी लिमिटेड

III. निष्पादन मूल्यांकन मानदंड एवं लक्ष्य 2014-15

सं.	मानदंड	एकक	वेईटेज	मानदंड मूल्य 1 उत्कृष्ट	2 अत्युत्तम	3 उत्तम	4 उचित	5 न्यून	दस्तावेजी साक्ष्य एवं स्रोत दस्तावेजों की उत्पत्ति
1.	**स्थिर वित्तीय मानदंड**								
	अपेक्षित मानदंड								
1.1	विकास/आकार/गतिविधि								
1.1.1	ब्याज एवं अन्य आय को छोड़ कर विक्रय व्यवसाय	रूपए करोड़ों में	9	12927	12124	11518	10953	10387	वार्षिक रिपोर्ट
1.1.2	सकल प्रचालन मार्जिन रेट	%	15	79	77	75	73	71	वार्षिक रिपोर्ट
1.2	प्रोफिटेबिल्टी								
1.2.1	पीएटी/सकल लाभ	%	6	19.76	18.69	17.29	16.18	15.07	वार्षिक रिपोर्ट
1.2.2	ईबीआईटी/औसत पूंजी निवेश	%	6	41.6	39.2	36.1	33.6	31.2	वार्षिक रिपोर्ट
1.3	लागत एवं परिणाम दक्षता								
1.3.1	प्रति कर्मचारी पीएटी	रूपए लाखों में	8	111.05	103.62	94.23	87.07	80.00	वार्षिक रिपोर्ट
	वैकल्पिक मानदंड								
1.4	परिसम्पत्ति उपयोग की दक्षता								
1.4.1	वस्तु सूची के दिनों की औसत संख्या	दिनों की सं.	6	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	वार्षिक रिपोर्ट
	उप योग		50						

नोट : टास्क फोर्स ने ब्याज एवं अन्य आय को छोड़ कर बिक्री व्यवसाय हेतु लक्ष्यों की गणना के लिए प्रति टन लौह अयस्क की बिक्री के लिए 3964/- रूपए के औसत मूल्य (एनएसआर) को अनुमोदित किया है।

एनएमडीसी लिमिटेड

नैगम संचालन के गओर- अनुपालन पर नकारात्मक मार्किंग :

निदांक 14 मई 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं 18(8)/2005 जीएम के जरिए डीपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इण्टरप्राइजिस ने नैगम संचालन पर गाइड लाइंस जारी की है । सूचीबद्ध सीपीएसई को सीईबीआई और डीपीई की गाइडलाइंस का अनुपालन करना होगा । गैर सूचीबद्ध सीपीएसई को भी डीपीई गाइड लाइंस का पालन करना अपेक्षित है । वर्ष 2014-15 के लिए समझौता ज्ञापन में नैगम संचालन का अनुपालान एक मानदण्ड होगा तथापि गैर अनुपालन पर नकारात्मक मार्किंग की जाएगी और एमओयू स्कोर में निम्नांकित रुप से वृद्धि होगी

क्रम सं	वार्षिक स्कोर	ग्रेडिंग	दाण्डिक अंक	उत्कृष्ठता ग्रेड से स्कोर में अंतर
01	85% और इससे अधिक	उत्कृष्ठ	0	0.00
02	75%- 84%	अति उत्तम	0	0.00
03	60%-73%	उत्तम	0.5	0.02
04	50%-59%	उचित	0.5	0.02
05	50% से कम	न्यून	0.1	0.04

यदि कोई सीपीएसई प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से नैगम संचालन पर स्वयं मूल्यांकन रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में विफल होती है तो इसका स्कोर तदनुसार प्रभावित होगा ।

2. अन्य गाइड लाइन/विनियमन के गैर अनुपालन पर नकारात्मक मार्किंग :

क) एमएसएमई से प्रापण :

दिनांक 25,2012 के डीओसं 21(1)/2011 एमए के जरिए जारी आदेश में सूक्षम लघू एवं मध्यम आकार के इंटरप्राइजि,पब्लिक प्रक्यूरमेंट पॉलसी का पालन करना होगा तथा गैर अनुपालन पर एमओयू मूल्यांकन के समय टास्क फोर्स के विवेक अनुसार 1 अंक तक दण्ड दिया जाएगा ।

ख) डीपीई गाएडलाइन्स का गैर अनुपालन

दिनांक 28 जून 2011 के का ज्ञा सं डीपीई/14(38)/10एफआईएन में दिए गए विवरण के अनुसार सीपीएसई को निर्धारित समय के भीतर डीपीई द्वारा जारी गाइड लाइंस के कार्यान्वयन के संबंध में एक प्रमाण पत्र तथा अपने प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से विनिर्दिष्ठ प्रपत्र देना होगा । एपीई गाइड लाइंस के गैर अनुपालन पर एमओयू मूल्यांकन के समय प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्र के आधार पर टास्क फोर्स के विवेक अनुसार1 अंक तक दण्ड दिया जाएगा ।

ग) अन्य गैर अनुपालन :

सरकार के किसी भी निर्देशों के गैर अनुपालन जिसमें पब्लिक इण्टरपायजिस(पीई),सर्वे, अपने वेबसाइट पर एमओअएसपीआई डेटा अपलोडिंग तथा गैर अनुपालन के गंभीर मामलों को उनकी गंभीरता के आधार पर 1 अंक तक दण्ड दिया जाएगा । सीपीएसई को सरकार के निर्देशों एवं विनियम की अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में एक प्रमाणपत्र देना होगा ।

III. निष्पादन मूल्यांकन मानदंड एवं लक्ष्य 2014-15 (जारी.....)

सं.	मानदंड	एकक	वेईटेज	मानदंड मूल्य 1 उत्कृष्ट	2 अत्युत्तम	3 उत्तम	4 उचित	5 न्यून	दस्तावेजी साक्ष्य एवं स्रोत दस्तावेजों की उत्पत्ति
2	गतिशील मानदंड								
2.1	नैगम सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिरता		3	अनुलग्नक 1 ए के विवरण के अनुसार					
2.2	अनुसंधान एवं विकास		2	अनुलग्नक 1 बी के विवरण के अनुसार					
2.3	विकास हेतु पहल								
2.3.1	लौह अयस्क का उत्पादन	एलडबलयू/एमटी	3	310	290	276	262	249	वार्षिक रिपोर्ट
2.3.2	लौह अयस्क की बिक्री	एलडबलयू/एमटी	3	320	300	285	271	257	वार्षिक रिपोर्ट
2.4	परियोजना प्रबंधन एवं कार्यान्वयन								
2.4.1	वर्ष के दौरान पूरी की गई परियोजनाएं								
2.4.1.1	दोणिमलै में पैलेट प्लांट का आरंभ		2	30.09.14	30.11.14	31.01.15	28.02.15	31.03.15	पैलेट प्लांट के प्रभारी का पत्र
2.4.2	वर्ष के दौरान पूरे न किए जा सके नए/चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित मील पत्थर		12	अनुलग्नक 1 सी के विवरण के अनुसार					
2.5	उत्पादकता एवं आंतरिक प्रगति								
2.5.1	प्रति जन पारी (ओएमएम) उत्पाद	टन्स	5	30.00	28.50	27.08	25.72	24.44	वार्षिक रिपोर्ट
2.5.2		%	1	96	95	90	86	82	बाहरी व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित ग्राहक फीडबैक रिपोर्ट
2.6	प्रौद्योगिकी गुणवत्ता, अद्यतन गतिविधियां								
2.6.1	गुणवत्ता प्रबंधन								
2.6.1.2	लौह अयस्क परियोजना में आईएसओ मानदंडों को कार्यान्वित करने में किए गए एनसी क्लियर की संख्या	%	3	90	85	80	75	70	परियोजना के एमआर की अनुपालन रिपोर्ट

III. निष्पादन मूल्यांकन मानदंड एवं लक्ष्य 2014-15 (जारी.....)

सं.	मानदंड	एकक	वेईटेज	मानदंड मूल्य 1 उत्कृष्ट	2 अत्युत्तम	3 उत्तम	4 उचित	5 न्यून	दस्तावेजी साक्ष्य एवं स्रोत दस्तावेजों की उत्पत्ति
2.6.2	सुरक्षा प्रबंधन								
2.6.2.1	खनन जोखिम - जन दिनों की हानि	ज.दि.हा./ 1000 ज.दि.हा.	2	1.35	1.50	1.75	2.00	2.25	वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों का प्रतिवेदन
2.7	मानव संसाधन प्रबंधन		8	अनुलग्नक - 1डी के विवरण के अनुसार					
	उप योग		44.0						
3.0	**विशेष मानदंड**								
3.1	उद्यम विशेष/सेक्टर विशेष								
3.1.2	गुणवत्ता विनिर्दिष्टों सहित अनुपालन	%	1	98	97	94	92	90	स्वतंत्र बाह्य एजेंसी का प्रमाण पत्र
3.1.3	ऊर्जा खपत - लौह अयस्क	KWH/ T of T.Excvn.	2	1.75	1.84	1.93	2.03	2.13	ऊर्जा खपत विवरण (मासिक)
3.1.4	प्रदूषण नियंत्रण उपाय -								
(i)	राष्ट्रीय वायु गुणववत्ता मानकों का अनुपालन - वायु	%	1	98	96	90	85	80	बाह्य अभिकरण की रिपोर्ट
(ii)	एफ्लूएन्ट उपचार संयंत्र - जल गुणवत्ता डिस्चार्ज मानकों का अनुपालन	%	1.5	98	96	90	85	80	बाह्य अभिकरण की रिपोर्ट
3.1.5	65.55 करोड़ रूपए की लागत का आदर्श निवेश (कर्नाटक विंड मिल) हेतु 2013 की रिपोर्ट संख्या 13 में सीएजी लेखित अनुच्छेद संख्या 14.1 का प्रकटीकरण	तिथि	0.5	31.03.15	-	-	-	-	
	उप योग		6.0						
	सकल योग		**100**						

अनुलग्नक-1ए

एनएमडीसी लिमिटेड
निष्पादन मानदंड 2014-15
मानव संसाधन प्रबंधन

सं.	निष्पादन सूचक	मानदंड	इकाई	वेईटेज	मानदंड मूल्य					दस्तावेजी साक्ष्य
					उत्कृष्ट	अत्युत्तम	उत्तम	उचित	न्यून	
1	**एसडी परियोजना - अपशिष्ट प्रबंधन :** बचेली, बैलाडीला में उपचारित जल की रीसाइक्लिंग हेतु सेकेण्डरी अपशिष्ट जल उपचार	एसटीपी के कार्यों को लगाने और आरंभ के लिए शेष 40%	तिथि	1.5	31.03.15	-	-	-	-	परियोजना के सिविल प्रमुख का प्रमाण पत्र
2	**नैगम सामाजिक दायित्व :** शिक्षा सहयोग योजना	दक्षिण बस्तर के 7 जिले, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोण्डागांव, नारायणपुर एवं उत्तर बस्तर, कांकेर सहित बस्तर क्षेत्र के विद्यार्थियों को लेना	विद्यार्थियों की संख्या	1.5	10000	9500	9000	8500	8000	विद्यार्थियों का विवरण
		योग		3						

अनुलग्नक-1बी

एनएमडीसी लिमिटेड
निष्पादन मानदंड 2014-15
अनुसंधान एवं विकास केन्द्र

सं.	मानदंड	एकक	वेईटेज	मानदंड मूल्य					दस्तावेजी साक्ष्य एवं स्रोत/दस्तावेजों की उत्पत्ति
				1 उत्कृष्ट	2 अत्युत्तम	3 उत्तम	4 उचित	5 न्यून	
1	लौह अयस्क संसाधन एवं सहयोगी मामलों से संबंधित उनके परिवहन एवं स्टेकिंग से उत्पन्न टेलिंग जनित के फिलट्रेशन की सुविधा	अध्ययन	1	31.12.14	31.01.15	28.02.15	23.03.15	31.03.15	बाह्य अभिकरण/अनुसंधान सलाहकार समिति का प्रमाण
2	आंशिक रूप से कोक के रीप्लेस के लिए लौह अयस्क सिंटरिंग प्रक्रिया में डोलो-चर अपशिष्ट का उपयोग	अध्ययन	1	31.12.14	31.01.15	28.02.15	23.03.15	31.03.15	बाह्य अभिकरण/अनुसंधान सलाहकार समिति का प्रमाण
	योग		2						

अनुलग्नक-1सी

एनएमडीसी लिमिटेड
निष्पादन मानदंड 2014-15
परियोजना प्रबंधन एवं कार्यान्वयन

सं.	मील पत्थर	वेईटेज	मानदंड मूल्य					दस्तावेजी साक्ष्य एवं स्रोत/ दत्तावेजों की उत्पत्ति
			1 उत्कृष्ट	2 अत्युत्तम	3 उत्तम	4 उचित	5 न्यून	
1	**3 एमटीपीए इस्पात संयंत्र, नगरनार**							
1.1	थिन स्लैब कास्टर एवं टॉप स्ट्रिप मिल के संबंध में विस्तृत अभियांत्रिकी का 90% कार्य पूरा हुआ ।	1.00	30.09.14	30.11.14	31.01.15	28.02.15	31.03.15	परामर्शदाता (मेकॉन) का पत्र
1.2	लाईम एवं डोलोमाइट प्लांट के संबंध में आधारित अभियांत्रिकी का 90% कार्य पूरा हुआ।	1.00	30.06.14	30.09.14	31.12.14	28.02.15	31.03.15	परामर्शदाता (मेकॉन) का पत्र
1.3	ब्लास्ट फर्नेस - ब्लॉस्ट फर्नेस सेल को तैयार करने का कार्य पूरा हुआ।	1.00	30.11.14	31.01.15	28.02.15	15.03.15	31.03.15	परामर्शदाता (मेकॉन) का पत्र
1.4	निम्नांकित पैकेजों की एलएसी जारी							
1.4.1	प्रमुख रिसीविंग सब स्टेशन (एमआरएस)	0.50	30.06.14	30.09.14	31.12.14	28.02.15	31.03.15	इस्पात संयंत्र के अ.नि./म.प्र. का प्रमाणपत्र
1.4.2	इंटर प्लांट पाइप लाइन	0.50	30.06.14	30.09.14	31.12.14	28.02.15	31.03.15	इस्पात संयंत्र के अ.नि./म.प्र. का प्रमाणपत्र
1.4.3	टर्बो ब्लोयर	0.50	30.06.14	30.09.14	31.12.14	28.02.15	31.03.15	इस्पात संयंत्र के अ.नि./म.प्र. का प्रमाणपत्र
1.4.4	स्थायी जल	0.50	30.06.14	30.09.14	31.12.14	28.02.15	31.03.15	इस्पात संयंत्र के अ.नि./म.प्र. का प्रमाणपत्र
2	कुमारस्वामी लौह अयस्क परियोजना : डाउनहिल कन्वेयर बेल्ट सिस्टम का आरंभ	2.00	31.12.14	28.02.15	15.03.15	22.03.15	31.03.15	कुमारस्वामी प्रभारी का पत्र
3	बैलाडीला लौह अयस्क, निक्षेप 11बी का आरंभ	2.00	31.08.14	30.11.14	31.01.15	28.02.15	31.03.15	डिपाजिट 11 बी प्रभारी का पत्र
4	पूंजीगत व्यय (रूपए करोड़ों में)	3.00	4345	4128	3921	3725	3539	व्यय का विवरण
	योग	12.00						

एनएमडीसी लिमिटेड
निष्पादन मानदंड 2014-15
मानव संसाधन प्रबंधन

सं.	एचआरएम निष्पादन सूचक	वेईटेज
1	**आगामी योजना के लिए कर्मचारियों के श्रेणीकरण के लिए मूल्यांकन केन्द्र** • 30-9-14 को उत्कृष्टता, 31-10-14 को अति उत्तम, 30-11-14 को उत्तम और 31-12-14 को उचित और 31-1-15 को न्यून के लिए बाह्य परामर्शीय कार्य सौंपे गए। • 50% महाप्रबंधक और अधिशासी निदेशक, जिनकी कम से कम 3 वर्ष की सेवा बाकी है, उन्हें वर्ष 2014-15 में लिया जाएगा। • 50% संयुक्त महाप्रबंधक, जिनकी कम से कम 5 वर्ष की सेवा बाकी है, उन्हें भी लिया जाएगा।	0.5 0.5 0.5
2	**कर्मचारियों का प्रशिक्षण** "लीडरशिप तथा स्ट्रेटजी एवं रिस्क मैनेजमेंट" विषय पर कार्यकारी निदेशक, स्वतंत्र निदेशक, अधिशासी निदेशक एवं महाप्रबंधकों का 50% हेतु प्रशिक्षण । • कुल कर्मचारियों की प्रतिशतता के अनुसार कर्मचारियों को प्रशिक्षण (35% उत्कृष्टता, 30% अति उत्तम, 27.5 उत्तम और 25 % उचित और 22.5% न्यून) • प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी जन दिवस प्रशिक्षण (3.1 उत्कृष्टता, 3.0 अति उत्तम, 2.8 उत्तम और 2.7 उचित और 2.6 न्यून) • बहुकौशल/कौशल उन्नयन हेतु कर्मचारियों का कौशल विकास (150 उत्कृष्टता, 140 अति उत्तम, 130 उत्तम और 120 उचित और 110 न्यून)	0.5 0.5 0.5 0.5
3	**वर्ष के दौरान गुणवत्ता वृत्त परियोजना पूरी की गई।** • उत्कृष्टता के लिए 15, अति उत्तम के लिए 13, उत्तम के लिए 11, उचित के लिए 9 और न्यून के लिए 7 संख्या	0.5
4	**कर्मचारियों को प्रेरणा** • कर्मचारी संतुष्टि एवं संगठनीय वातावरण सर्वेक्षण के कार्य 30-9-14 को उत्कृष्टता, 31-10-14 को अति उत्तम, 30-11-14 को उत्तम, 31-12-14 को उचित और 31-1-15 को न्यून हेतु सौंपे गए। • 31-3-15 को कर्मचारियों को प्रेरणा देने के मूल्यांकन स्तर तथा सुधार हेतु सुझाव की प्रारूप रिपोर्ट	0.5 0.5
5	**कर्मचारियों के कल्याण हेतु सर्विस चार्ट का विकास** • निदेशक (वित्त), निदेशक (कार्मिक), एक प्रबंधन प्रतिनिधि एवं एक श्रमिक प्रतिनिधि सहित समिति का गठन किया गया। • बैठकें : उक्त समिति प्रत्येक दो माह में एक बैठक और अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के स्तर पर 6 माह में एक बैठक आयोजित करेगी।	0.5 0.5
6	**प्रतिभा प्रबंधन/परिवर्तन प्रबंधन** • 30-9-14 को उत्कृष्टता, 31-10-14 को अति उत्तम, 30-11-14 को उत्तम और 31-12-14 को उचित और 31-1-15 को न्यून के लिए बाह्य परामर्शीय कार्य सौंपे गए। • दिनांक 31-3-15 को प्रारूप रिपोर्ट	0.5 0.5
7	**व्यक्तित्व निर्माण** • व्यक्तित्व में सुधार के लिए बाहर से विशेषज्ञ परामर्शदाता की नियुक्ति 30-9-14 को उत्कृष्टता, 30-10-14 को अति उत्तम, 30-11-14 को उत्तम और 31-12-14 को उचित और 31-1-15 को न्यून हेतु कार्य सौंपे गए। • 31-1-15 को उत्कृष्ट, 15-2-15 को अति उत्तम, 28-2-15 को उत्तम, 15-3-15 को उचित और 31-3-15 को न्यून हेतु प्रारूप रिपोर्ट	0.5 0.5
	योग	8.0

IV. सरकार से प्राप्त सुविधा / सहयोग

एनएमडीसी अन्त : संरचाना सुविधाओं से संबंधित कुछ मान्यताओं तथा बाह्य अभिकरणों जैसे रेलवे, पोर्ट आदि, जिनके सहयोग का सीधा प्रभाव एनएमडीसी के निष्पादन पर पड़ता है, की मान्यताओं के आधार पर समझौता ज्ञापन में दिए गए निष्पादन मूल्यांकन लक्ष्यों के प्रति वचनबद्ध है । एनएमडीसी नियमित रूप से इन अभिकरणों के साथ समन्वय करने का हर संभव प्रयास करता रहेगा । तथापि, एनएमडीसी के निष्पादन में सुधार करने के लिए एनएमडीसी को जब कभी आवश्यकता होगी तो निम्नांकित पहलुओं पर इस्पात मंत्रालय सहयोग दे सकता है :

1. <u>रैक की आपूर्ति</u> :

परियोजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर बैलाडीला क्षेत्र तथा दोणिमलै क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों में दैनंदिन आधार पर एनएमडीसी की परियोजनाओं द्वारा रैकों की मांग की जाती है। एनएमडीसी मांग पत्र के अनुसार बैलाडीला क्षेत्र के लिए केके लाइन पर तथा दोणिमलै के लिए रणजीतपुरा पर रैक आपूर्ति की अपेक्षा करता है। दोनों क्षेत्रों में रैकों की कम आपूर्ति होने के कारण प्रेषण/बिक्री पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे उत्पादन के साथ-साथ एनएमडीसी के लाभ पर भी प्रभाव पड़ता है।

2. <u>कानून और व्यवस्था का मामला</u> :

अतिवादियों के क्रियाकलापों के कारण बैलाडीला क्षेत्र में अयस्क के उत्खनन और परिणामत: इसके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जिसके चलते कर्मचारियोंकी कड़ी मेहनत के बावजूद कंपनी के विकास में रूकावट पैदा हो रही है । राष्ट्र के विकास में सफल योगदान के लिए कंपनी के विकास हेतु इस संबंध में उचित स्तर पर हस्तक्षेप करना अपेक्षित है ।

3. <u>केन्द्र/राज्य विभागों में क्लियरेंस</u> :

निर्माण/योजना के अधीन परियोजनाओं के लिए त्वरित वन/पर्यावरण क्लियरेंस और पट्टे प्राप्त करने से एनएमडीसी को नई परियोजनाओं को समय/लागत पर अधिक खर्च न करते हुए क्रियान्वित करने में सहायक होगा । राज्य सरकार/ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय आदि के साथ पट्टे/क्लियरेंस के लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने में मंत्रालय का सहयोग जब कभी अपेक्षित हो, लिया जाएगा।

4. <u>रेलवे के साथ मुद्दे</u>

निम्नांकित मुद्दों पर इस्पात मंत्रालय से सहयोग अपेक्षित है :

i) बैलाडीला से विशाखापट्टणम तक लौह अयस्क की ढुलाई के लिए वर्तमान में वसूल किए जा रहे 20% स्तर के इनफ्लेटेड माइलेज प्रभार को हटाने का मामला ।

ii) रेलवे ने वर्तमान में लौह अयस्क के निर्यात का वर्गीकरण 180 क्लास में किया है, परंतु मूल भाड़े पर 25% डिस्टेंस बेस सरचार्ज तथा लगाए गए अतिरिक्त प्रभार के कारण घरेलू भाड़े से निर्यात भाड़े में लगभग 1600/- रूपए की वृद्धि हुई है । निर्यात पर लगाए गए अतिरिक्त प्रभार डीबीएस प्रभार हटा दिया जाए । निर्यात रेलवे प्रभार पर 12% सेवा कर को भी हटा दिया जाए ।

iii) लौह अयस्क पर निर्यात कर को हटा/कटौती की गई है जो वर्तमान में 30% है ।

5. एनएमडीसी के बोर्ड में गैर अधिशासी निदेशकों के पद को भरने के लिए समय पर कार्रवाई ।

6. अन्य कोई सहायता, जब कभी आवश्यक हो ।

V समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन तथा मॉनिटरिंग के लिए कार्य योजना

1. समझौता ज्ञापन के मानदण्ड के प्रति प्रत्येक माह निष्पादन मूल्यांकन किया जाएगा तथा कार्यकारी निदेशकों और अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा मॉनीटर किया जाएगा।

2. बोर्ड की बैठकों के दौरान तिमाही आधार पर निष्पादन की रिपोर्ट बोर्ड के सूचनार्थ प्रस्तुत की जाएगी।

3. प्रत्येक तिमाही के अंत में आयोजित तिमाही निष्पादन समीक्षा बैठकों में एनएमडीसी तथा इस्पात मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से समीक्षा की जाएगी ।

(सी एस वर्मा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
एनएमडीसी लिमिटेड
हैदराबाद

(जी मोहन कुमार)
सचिव
इस्पात मंत्रालय
नई दिल्ली

नई दिल्ली

दिनांक : 25/3/15

VI. शब्दावली

उत्पादन - लौह अयस्क

रन आफ माइन ओर से उत्पादित पिण्ड, सीएलओ एवं चूर्ण की कुल मात्रा को वेट मेट्रिक टन में दर्शाया गया है।

बिक्री - लौह अयस्क

घरेलू ग्राहकों के लिए बिक्री की गई/जहाज पर लादी गई लौह अयस्क की मात्रा एफ.ओ.आर./ एफ.ओ.टी. के आधार पर तथा निर्यात के लिए एफ.ओ.बी. के आधार पर ।

खान आपदाएं - जन दिवस की हानि

खानों में (3 लौह अयस्क तथा 1 हीरा खान) दुर्घटनाओं के कारण वर्ष के दौरान हुई वास्तविक जन दिवस की हानि प्रति 1000 कार्यरत जन दिवस।

ओएमएस

सभी लौह अयस्क खानों के कुल उत्खनन को इन खानों में उत्पादन से सम्बद्ध विभागों में कार्य करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या से विभाजित किया गया है ।

उपभोक्ता संतुष्टि

वर्ष की तृतीय तिमाही के अंत में प्रत्येक लौह अयस्क खान से कम से कम दो उपभोक्ताओं से उपभोक्ता फीड बैक प्राप्त की जाएगी और समेकित मूल्यांकन पर विचार किया जाएगा ।

गुणवत्ता

बैलाडीला क्षेत्र से 3 घरेलू क्रेताओं को तथा दोणिमलै क्षेत्र से 2 घरेलू क्रेताओं को आपूर्ति की गई मात्रा के संबंध में गुणवत्ता विनिर्देशों के पालन पर विचार किया जाएगा । परियोजना के लदान क्षेत्र में किए गए गुणवत्ता विश्लेषण को मूल्यांकन हेतु लिया जाएगा । ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री की गई मात्रा को छोड़ दिया जाएगा ।

ऊर्जा खपत

सभी तीनों लौह अयस्क खानों (बैला-14/11सी, बैला-5/10 एवं 11ए तथा दोणिमलै लौह अयस्क खान) की औद्योगिक विद्युत ऊर्जा की खपत प्रति टन के उत्खनन के लिए के.डब्ल्यू.एच. में है ।

प्रदूषण नियंत्रण

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा निर्धारित गुणवत्ता विनिर्देशनों को पूरा करने वाले नमूनों की संख्या से कुल नमूनों की प्रतिशतता के रूप में ।

सीपीएसई के द्वारा स्वयं घोषणा/प्रमाणन

एतदद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय मानदंडों के संबंध में लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धियों को वर्ष 2014-15 के समझौता ज्ञापन के मार्गदर्शन के मानकों और परिभाषाओं का अनुपालन करते हुए तैयार किए गए। निष्पादन के मूल्यांकन के समय यदि किसी मामले में कोई भिन्नता पाई जाती है तो डीपीई समझौता ज्ञापन के मार्गनिर्देशों के मुताबिक लेखा परीक्षित लेखा के अनुसार मूल्यांकन कर सकता है। इस संबंध में सीपीएसई को दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

डी एस आर शास्त्री

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

डी.एस.आर.शास्त्री/D.S.R. SASTRY
महाप्रबंधक (वित्त)
General Manager (Finance)
एन एम डी सी लि., हैदराबाद.
NMDC LTD, Hyderabad.